तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए

वकुलाए फरीकेन उपस्थित प्रार्थना पत्र अबैटमेन्ट पर उभयपक्षों को सुना गया।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की दावा में काशीपुरी का दिनांक 23.03.2016 को देहान्त हो चुका है तथा मृतक काशीपुरी के वारिसान प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जावे।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया गया था प्रार्थना पत्र सम्बधित राजस्व रीडर को फाईल में शामिल करने हेतु दिया था तथा उस समय राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार चल रहे थे जिसके कारण सम्बधित फाईल में शामिल नही हो सका किसी अभिभाषक व सम्बधित राजस्व कर्मचारी की गलती की सजा किसी पक्षकार को नही होनी चाहिये।

प्रार्थीगण देहाती अनपढ काश्तकार पेशा किसान तथा ग्रामीण परिवेश में जीवन यापन करने वाले है तथा अदालत में किसी वकील व सम्बधित बाबु की गलती की सजा पक्षकार को ना देते हुए न्यायहित में मृतक काशीपुरी की जगह उसके जायज वारिसान को पत्रावली पर बतौर पक्षकार बनाना न्यायोचित है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थन पत्र के सलग्न शपथ पत्र शेरपुरी उर्फ शेराराम एवं शपथ पत्र अधिवक्ता अन्जनी कुमार को पेश किया गया है न्यायिक दृष्टान्त यू0जे0 1985 पेज – 551 पेश की गई।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद में काशीपुरी के स्थान पर प्रार्थीगण को पक्षकार बनाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी / प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी काशीपुरी की मृत्यू दिनांक 23.03.2016 को होना बताई गई है जिसकी मृत्यू के 247 दिन वाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इतने लम्बे समय तक न्यायालय हाजा के समक्ष कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है तथा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में मृतक नारायणी कब फोत हुई है प्रार्थना पत्र में कोई तिथि अंकित नही की गई है तथा प्रार्थना पत्र पेश करने में ईतना विलम्ब क्यो व केसे हुआ का सन्तोषजनक कोई कारण नही दिया है मृतक काशीपुरी व नारायणी के देहान्त के पश्चात विधिक प्रतिनिधि 90 दिवस की अवधि में पत्रावली पर नही लिये गये परिसीमा की अवधि 5 गुणा व्यतीत हो जाने के पश्चात विधिक प्रतिनिधियो को पत्रावली पर लाने हेतु एक आवेदन प्रस्तुत हुआ परन्तु इस समय तक प्रकरण उपशमित हो गया था और इसके साथ ही न्यायालय भी मामले की अधिकारिता से निवृत हो चुका था जब प्रकरण उपशमित हो चुका तो बिना किसी जैरकार प्रकरण के प्रार्थी आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही है जब विधि में Specific Provisisian O 22R-4(5)&9 है तो आ. 1 रूल 10(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र कानुनी तौर प्रस्तुत नही किया जा सकता है माननीय केरला उच्च न्यायालय द्वारा सन 99 में यानि एआईआर– 1999 केरला पेज – 359 , State of Kerala Applelant & Madhavakurwp Ram Chan Daran Pillai में Held किया है जो Had Not © में Held है इसलिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है।

मियाद अधिनियम के अनुच्छेद 120 के अनुसार विधिक प्रतिनिधि को रेकार्ड पर लिये जाने की अवधि 90 दिवस है इसके बाद उक्त प्रकरण में स्वत ही उपशमित माना जावेगा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी मृतक के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने हेतु नही हे इसलिये प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी / वादी ने प्रार्थना काशीपुरी का दिनांक 23.03.2016 को फोत होना बताया जाकर प्रार्थना पत्र दिनांक 01.12.2016 को किया जाना अपनें प्रार्थना पत्र में दर्ज की है पूर्व में प्रार्थना पत्र राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान रीडर को देना बताया है तथा उनके द्वारा प्रार्थना अभियान के कारण पत्रावली में शामिल नही किया जाना अंकित किया गया है।

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का कथन स्वीकार योग्य नही है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नही किया गया है कि उसके द्वारा किस दिनांक एवं किस राजस्व अभियान के दोरान प्रार्थना पत्र रीडर को दिया गया था तथा क्या उस दिन पत्रावली उस राजस्व अभियान में रखी जानी निधारित थी या नही अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया गया है मात्र कथनों के आधार पर की प्रार्थना पत्र रीडर को दिया जाना और पत्रावली में शामिल किया जाना नही माना जा सकता है।

प्रार्थी ने काशीपुरी की मृत्यू दिनांक 23.03.2016 को बताई है तथा काशीपुरी की मृत्यू के 247 दिवस बाद प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज नारायणी कब फोत हुई का कोई अंकन अपने प्रार्थना पत्र में नही किया गया है।

जबकि मियाद अधिनियम के अनुच्छेद 120 के अनुसार मृतक के विधि प्रतिनिधि को रेकार्ड पर लिये जाने के लिये 90 दिवस की अवधि है इसके बाद प्रकरण स्वत ही उपशमित माना जा सकता है।

प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया परन्तु उक्त शपथ पत्र पर कोई तिथि अंकित नही है जो यह दर्शाता है कि शपथ पत्र कब किस तिथि को लिखा गया तथा शपथ पत्र मे देरी का स्पष्ट कारण भी अंकित नही है जबकि अप्रार्थी/वादी ने काउण्टर में अधिवक्ता सत्यनारायण का दिनांक 24.04.2017 को शपथपत्र पेश किया जिसमें उन्होने सन 2014 से 2016 तक प्रत्येक राजस्व कैम्प में उपस्थित हरने तथा दिनांक 01.12.2016 से पूर्व कोई प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश नही किये जाना अंकित किया गया है तथा स्वय वादी की पुत्री गुडडी ने शपथ पत्र पेश दिनांक 24.04.2017 को पेश किया है कि जानबुझकर वादी के वारिसान द्वारा प्रार्थना पत्र पेश नही किया जाना अंकित किया गया है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी (2) सीपीसी एव प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व 9 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये गये है मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है।

प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र 247 दिनों के पश्चात पेश किया गया है प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की नियत अवधी 90 दिवस है अर्थात काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है।

लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा –5 मियाद का कानुनी किसी पक्षकार के लिये कितना भी कठोर हो लेकिन जब कानुन में प्रावधान है तो उसे कठोरता से लागू करना पडेगा अदालतें (equitable Ground) समानता के आधार पर समय सीमा नही बढा सकती है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र रीडर की गलती को देरी का आधार अंकित किया गया है जो विलम्ब को शमन करने हेतु प्रर्याप्त नही है असत्य कथनों के आधार पर डिले कन्डोन नही किया जा सकता है।

''' माननीय उच्चतम न्यायालय की आर आर टी पेज – 432 में अंकित किया गया हे असत्य कथन के आधार पर सन्तोषजनक कारण के बिना देरी को माफ नही किया जा सकता है।''

प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत नही होने पर उपशमन बिना किसी न्यायिक आदेश के स्वतः ही होता है उपशमन हेतु प्रार्थना पत्र भी उपशमन हेतु प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नही है '' आरएलडब्ल्यू– 2017 पेज 1105''

उपरोक्त विवेचन के अनुसार विधिक प्रतिनिधि/वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने की अवधि 90 दिवस है हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र. 247 दिनों के बाद पेश किया गया है वह भी अधुरा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में नारायणी देवी के देहान्त होने के सम्बध में तिथि या अन्य विवरण स्पष्ट तौर से अंकित नही किया गया है प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र देरी से प्रस्तुत करने का कोई सन्तोषजनक कारण एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिसके आधार पर विलम्ब को माफ किया जा सके।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी सपटित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 व 9 सीपीसी सपटित धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वाद वादी अबैट किया जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with CamScanner